



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 18276 वर्ष 2025

रामपाल

....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....विपक्षी पक्ष

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : विपिन गंगवार, अली विपिन गंगवार, अली हसन,
देवाशीष

मित्रा, इस्तियाक अली

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री इस्तियाक अली और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री एस.के. राय को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह वर्तमान जमानत अर्जी आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि उसे केस क्राइम संख्या 165/2025 में जमानत पर रिहा किया जाए; यह मामला नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटान्सेस एक्ट, 1985 की धारा 8/18/22 के तहत पुलिस थाना-भमोरा, जिला-बरेली में दर्ज है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक के कब्जे से 2.510 किलोग्राम अफीम, 112 ग्राम सफेद पाउडर, स्पैस्मो कोरियन के 189 कैप्सूल और एनआईटीसीओआर-10 की 80 गोलियां बरामद होने का आरोप है। वास्तव में, आवेदक से ऐसी कोई बरामदगी नहीं हुई थी। आवेदक के कब्जे से 2.510 किलोग्राम अफीम बरामद हुई थी, जो कि 'व्यावसायिक मात्रा' से कम है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि चूंकि इस बरामदगी का समर्थन किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए इस अपराध में आवेदक को झूठा फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष, एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 50 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने में

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विफल रहा है। मामले में कोई रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं है। यह तर्क भी दिया गया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे अनावश्यक रूप से परेशान करने तथा उसे पीड़ित बनाने के उद्देश्य से वर्तमान अपराध में झूठा फंसाया गया आवेदक का एक आपराधिक मामला है, जिसके बारे में स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की ज़मानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए यह तर्क दिया है कि आवेदक की निर्दोषता का निर्णय विचारण-पूर्व चरण पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह प्रतिबंधित सामग्री की आपूर्ति में संलिप्त है; अतः, आवेदक किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह पुनः इसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हो जाएगा।

कानून की यह एक स्थापित स्थिति है कि ज़मानत एक नियम है और जेल भेजना एक अपवाद है। 'स्टेट ऑफ़ राजस्थान बनाम बालचंद @ बलिया' (1977) 4 एससीसी 308 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि ज़मानत देने से इनकार करना, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति को मिली व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर एक प्रतिबंध है। कोर्ट ने पैरा 2 में अपनी राय देते हुए कहा, "मूल नियम को शायद संक्षेप में इस तरह कहा जा सकता है: ज़मानत, न कि जेल; सिवाय उन परिस्थितियों के जहाँ यह संकेत मिलता हो कि याचिकाकर्ता (जो कोर्ट से ज़मानत पर रिहाई चाहता है) न्याय से भाग सकता है, या न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है, या अपराधों को दोहराने, गवाहों को डराने-धमकाने जैसी अन्य परेशानियाँ खड़ी कर सकता है। हमारा इरादा हर पहलू को विस्तार से बताने का नहीं है, बल्कि केवल उदाहरण देने का है।" मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, और 'गुडिकांति नरसिम्हुलु और अन्य बनाम पब्लिक प्रॉसिक्यूटर, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट' (एआईआर 1978 एससी 429) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मूल सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए; साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश को, आरोपों की प्रकृति को, उनके समर्थन में मौजूद सबूतों की प्रकृति को, दोषी पाए जाने पर मिलने वाली सज़ा की गंभीरता को, आरोपी-आवेदक के चरित्र को, आरोपी से जुड़ी विशेष परिस्थितियों को, विचारण के दौरान आरोपी की

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपस्थिति सुनिश्चित होने की उचित संभावना को, गवाहों के साथ छेड़छाड़ होने की उचित आशंका को, जनता/राज्य के व्यापक हित को, और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए—लेकिन मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना—मेरा यह मत है कि यह ज़मानत दिए जाने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त वर्णित अपराध-मामले में संलिप्त आरोपी-आवेदक **रामपाल** को जमानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने होंगे, तथा उसे निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:

1. आवेदक, अन्वेषण (जांच) अथवा विचारण की अवधि के दौरान, गवाहों को डरा-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा। 2. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, मुकदमे की कार्यवाही में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेगा।

3. जमानत पर रिहा होने के बाद, आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा और न ही कोई अपराध करेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, उसे जमानत रद्द करने का आधार माना जाएगा। जमानत के बॉन्ड स्वीकार किए जाने से पहले, संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और उसके जमानतियों की पहचान, हैसियत और निवास के प्रमाण का सत्यापन किया जाएगा।

14 जनवरी, 2026

न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव